TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 16[th] JANUARY, 1998

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
*****

New Delhi the 16[th] January, 1998

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.228(E) dated the 17th March, 1994 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 10, Expansion of Hindu Mission Hospital by addition of Geriatric Division and Opthalmic Block(7400 Sq. Ft. area for each) to benefit people living in and around Tambaram of Hindu Mission Hospital-36, G.S.T. Road, Chennai-600045, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-95;

AND WHEREAS by notification number S.O.483(E) dated the 5th July, 1996, the said project or scheme was specified as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 1997-98;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of one year and enhancing the estimated cost to rupees two hundred fifty lakhs;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Expansion of Hindu Mission Hospital by addition of Geriatric Division and Opthalmic Block(7400 Sq. Ft. area for each) to benefit people living in and around Tambaram of Hindu Mission Hospital-36, G.S.T. Road, Chennai-600045, at the estimated cost of rupees two hundred fifty lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of one year i.e. assessment year 2000-2001.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10509
F.No. NC-153/97

भारत के राजपत्र के असाधारण भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में दिनांक..........16..जनवरी, 1998 को प्रकाशनार्थ,

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 1998

अधिसूचना

का0 आ0..................(अ0) जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 17 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं0 का0 आ0 228 (अ0) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम0सं0 10 पर, हिन्दू मिशन अस्पताल-36, जी0एस0टी0 रोड, चेन्नै के ताम्ब्रम में और इसके आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जैरीऐट्रिक डिविजन (वृद्धावस्था सम्बन्धी रोगों के लिए प्रभाग) और ऑफ्थालमिक ब्लॉक (नेत्ररोग संबंधी) (प्रत्येक के लिए 7400 वर्गफुट क्षेत्र) के परिवर्धन से हिन्दू मिशन अस्पताल की विस्तार योजना को एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1994-से शुरू होनेवाले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ।

और जबकि दिनांक 5 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं0 का0आ0 483(अ0) के द्वारा उक्त परियोजना या स्कीम निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले तीन और वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था ।

और जबकि, उक्त परियोजना या स्कीम की अवधि छः वर्षों से अधिक अवधि तक बढ़ाये जाने की संभावना है ।

और जबकि, राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उपयुक्त रूप से चलाई जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 5 के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और एक वर्ष की अवधि के लिए और अनुमानित लागत को दो सौ पचास लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ।

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केवल दो सौ पचास लाख रुपए की अनुमानित लागत पर हिन्दू मिशन अस्पताल-36, जी०एस०टी० रोड, चेन्नै-600 045 के ताम्बरम में और इसके आस पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों लाभ पहुंचाने के लिए पेरीनैट्रिक डिविजन और ऑफ्थालमिक ब्लॉक (प्रत्येक के लिए 7400 वर्गफुट क्षेत्र) के परिवर्धन से हिन्दू मिशन अस्पताल की विस्तार योजना को एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में एक और वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(वी० के० सहगल)

उप सचिव, भारत सरकार

सं०....10509.....

फा० सं० एस० सी० 153/97